

१४

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक : 172 / प्र०अ०-भवन / जोग-१ / 2011-12 दिनांक १३ / ०३ / २०१२

अनुमति-पत्र

गठ जनसंघे ड०५० नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की घारा 14 त 15 के अन्तर्गत
मी जाती है, लिन्तु अर्थ यह न समझना आहिए कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर व्यवसायिक भवन
गानवित्र खोलूत किया जा सकता है, इससे लिसी प्रकार या किसी रूप नीय निकाल या इसक स्थानीय
अधिकारी या व्यक्ति अथवा फॉन के मालिकाना अधिकारी पर किसी का कोई ऊपर पढ़ेगा शर्तात् यह
अनुमति पिसी के मिलेंगत या स्वामित्व के अधिकारी के प्रिलक कोड़े प्राप्त न रखेगा।

श्री राजीव अग्रवाल, द्वायरेलट, मंगलगूर्ति इन्डस्ट्रीट प्राप्तिलिंग रखल नजूल की छोल
उप-विभागित मूख्यांड संख्या-३०५ एम०डी० मार्ग, इलाहाबाद जोग संख्या (१) के अन्तर्गत व्यवसायिक भवन गानवित्र के प्रत्तानित भाग पर निर्माण की अनुमति नियमित प्रतिवधी के अधीन उपान
को जाती है -

१. उपर नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम १४/३ की घारा १५ (१) के प्राप्तिलिंग के अनुसर पूर्वता
उपर नगर नियोजन के प्रत्यागत ही उपग्रेड/अंतिमो नियम विवरण एवं विकास
उपरिविषय २००८ में उपरिविषय संख्या-२.१.३ एवं ३.१.६ गे नियोजित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण नव प्राप्त
करना आवश्यक है।
२. यह त्वावृत्ति क्षमता (Provisional) त्वावृत्ति के रूप में देगा। निर्माण त्वावृत्ति के उपरन्तु, रामी
आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की अर्थे पूर्ण करने के प्रत्यक्ष नियम किये जाने
पले 'त्वावृत्ति प्रमाण एवं रामी करने के बाद ही उस परिसर को यात्रायेक उपयोग ने लाया जा
लक्ष्य।
३. त्वावृत्ति सम्बन्धी किसी नी विदाद पर गानवित्र रखत नियस्त समझा जायेगा।
४. स्थल पर एक बोर्ड लगाकर स्वीकृति सम्बन्धी विवरण अंगित रखना होगा।
५. स्थल पर ०७ दूज लगाने जोगे तथा पूर्ण को हर-नवा रखने का दायिता आवेदक का होगा।
६. स्थल पर समस्त आन्तरिक पेकारा कार्य स्वतः पूर्ण करना होगा।
७. गानवित्र मे दर्शित Green Space के छोड़ी गयी भूमि ५५ कोई नी निर्माण अवैध दोगा तथा
Green Space को बल-उपान के रूप मे विकसित करना होगा।
८. स्थल पर पुराना नियमित कालन नियमान्त्रित है, जिसे इटपाकर प्रत्तानित के अनुसर प्रियांग करना होगा।
९. स्थल पर यांत्रिक पार्किंग विकसित कर रायेव गतिमन रखवाई होगी।
१०. यदि आवेदक द्वारा कोई महलपूर्ण रूपना लियागी गयी है तो उपर नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सूचनगत धराओं के अन्तर्गत ५०८वीं की
जायेगी।
११. यह अवैधत भव केवल दौच वर्ष की अवधि के लिए है। यदि भूखण्डो का एवं विभाजन अथवा पार्क
एवं रेल इलायादि का आतिकन्प विभाजकर्ता द्वारा किया जाता है तो ड०५० ड०५ नियमानुसार
उपर नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सूचनगत धराओं के अन्तर्गत ५०८वीं की
जायेगी।
१२. स्थान निर्माण रो गांव नाली के सड़क की पट्टी उथय सड़क या नाली के किसी गांव (जो मकान के
उगावाडे लियारु अथवा उसके आलार के काण्ड ढक गई है) को हारे पहुंचे तो गृहस्थानी तैयार हो
जाने पर १५ दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीध कहा
तो पहले ही उसे अन्ते घर्वे से मरम्मत कराकर दूषवात् उपरथा जिससे विकास प्राधिकरण की संतोष
हो जाय, मे कर देगा।
१३. यह नियांग के चान्द इसका भी ज्ञान रखना होगा। कि भूस्तीय विद्युत अधिनियम १९५६ (इण्डियन
इलेक्ट्रिटी लॉस १९५६) नियम १० का उल्लंगन किसी ने दिए हैं मे न होना चाहिए। यदि विकास
प्राधिकरण की जानकारी ने ऐसे मामले पाये गये हो तो उस ऐसे नियम के रोक अथवा हटाया सकता है।
१४. आदेक को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नीत तक तथा छत तक वन जाने एवं
उनके पूर्ण हो जाने की उपबन मकान आवाद होने से दूर देना होगा तथा उस आदेक का नाम मे
देना होगा जिसके नियमान्त्रित में मकान नियमित होता है।
१५. यदि नियांग मे नपटर ज्ञान का उल्लंगन होता पाया गया हो तो नियांगकर्ता को दी गई खोकृति रव
सनद्वारा जायेगी और किय गया नियांग अनधिकृत घोषित कर उपर अधिनियम की घारा २७ (१) के
अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

१३/३/२०१२
(लैम सिंह)
संयुक्त सचिव/प्र०अ०-भवन
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,

